ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/4295/2005/टोंक अपील/टीए/5516/2005/टोंक	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–
द्वितीय अपील सं0 4295/2005ः–
श्री सोहनपाल सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री वी0पी0सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।
द्वितीय अपील सं0 5516/2005ः–
श्री वी0पी0सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री सोहनपाल सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय
दिनांक 13–01–2020

ये दोनों अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील सं0 94/2000 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 18–08–2005 के विरूद्ध मण्डल में पेश की गई हैं।

इन दोनों अपीलों के तथ्य, प्रकृति स समान पक्षकार तथा कानून बिन्दू समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावें।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सोहनी आदि ने सहायक कलक्टर, मालपुरा के न्यायालय में एक राजस्व वाद विरूद्ध गोविन्दसिंह आदि के अधिनियम की धारा 88 व 188 का विवादित आराजी बाबत् पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय ने दर्ज

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/4295/2005/टोंक अपील/टीए/5516/2005/टोंक	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–09–2000 द्वारा वादीगण का वाद डिक्री किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 18–08–2005 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर सहायक कलक्टर, मालपुरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–09–2000 को निरस्त कर दिया व प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे निर्णय में वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर ये दो अपीलें पेश की गई है। हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रश्नगत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा दावे में दादरसी सहित 6 तनकियात कायम की गई तथा प्रत्येक तनकी पर अपना विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय प्रदान किया गया। किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को देखने से यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 में दिए गए प्रावधानों को अनदेखा करते हुए तनकीवार निर्णय प्रदान नहीं किया गया है, जिसे उचित एवं विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अतः हम इस दोनों अपीलों को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–08–2005 निरस्त किया जाना उचित समझते है।	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/4295/2005/टोंक अपील/टीए/5516/2005/टोंक	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप ये दोनों अपीलें अंशत स्वीकार की जाकर भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–08–2005 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 में दिए गए प्रावधानों का अनुसरण करते हुए 4 माह में अपील पर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रामनिवास जाट) सदस्य (शिखर अग्रवाल) सदस्य	